महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या: 4/2025/बी-1- 287/दस-2025-231/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
ऊर्जा, लोक निर्माण, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास,
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, ग्राम्य विकास,
नगर विकास, बेसिक शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
सिंचाई एवं जल संसाधन, पंचायती राज, आवास एवं शहरी नियोजन,
समाज कल्याण - जनजाति कल्याण सहित, कृषि,
बाल विकास एवं पुष्टाहार, चिकित्सा शिक्षा (मेडिकल कालेज/पी.जी.आई.),
महिला कल्याण, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.),
पर्यटन एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक: 27 फरवरी, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-2025 में प्रावधानित बजट एवं उसके सापेक्ष व्यय के सम्बन्ध में ।

महोदय,

चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के समाप्त होने में एक माह का समय ही शेष है । अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में विभागों के लिये प्रावधानित बजट एवं उसके सापेक्ष व्यय का अनुश्रवण विभागीय स्तर पर नियमित रूप से किया जाय ताकि प्रावधानित बजट की धनराशि का अधिकतम उपयोग, चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में सुनिश्चित हो सके । यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अनुपूरक मांगों के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अन्त में समर्पित किये जाने की स्थिति उत्पन्न न हो ।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में विभागों द्वारा, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक केन्द्रांश प्राप्त करने के प्रयास किये जायें ताकि केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में धनराशि की उपलब्धता में कमी न हो ।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही को कृपया प्राथमिकता प्रदान करें ।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

..... 2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः 4/2025/बी-1- 287(1)/दस-2025-231/2024, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, माननीय वित्त मंत्री जी ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
4. निजी सचिव, सचिव, वित्त विभाग (सुश्री मिनिस्ती एस.) ।
5. निजी सचिव, सचिव, वित्त विभाग (डा. मुथु कुमार स्वामी बी.) ।
6. निजी साचिव, सचिव, वित्त विभाग (श्री एस.एम.ए.रिज़वी) ।
7. सम्बन्धित विशेष सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।